कार्यालय जिला परिषद, हजारीबाग।

–: आम सूचना :–

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दारू प्रखण्ड अन्तर्गत झुमरा बाजार से चुंगी वसूली हेतु बन्दोबस्ती वर्ष 2019–20 के लिए दिनांक 13/02/2019 को 3:00 बजे अपराहन् में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, हजारीबाग के सभागार में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा या प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा की जायगी। नियम एवं शर्ते तथा अन्य जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट अथवा Web Site- www.hazaribag.nic.in पर देखा जा सकता है।

जो व्यक्ति बन्दोबस्ती में भाग लेना चाहते है, वे निम्नलिखित **षर्तो** का अनुपालन करते हुए निर्धारित समय पर डाक में भाग ले सकते है।

–: षर्तें :–

1. बन्दोबस्ती वर्ष 2019–20 (एक वर्ष) के लिए की जायगी।
2. डाक बोलने वाले को डाक में भाग लेने के इस वर्ष की सुरक्षित जमा राशि 7,77,000.00 (सात लाख सतहतर हजार) रूपये का पन्द्रह प्रतिशत 1,16,550.00 (एक लाख सोलह हजार पांच सौ पचास) रूपये जमानत के रूप में बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जिला परिषद, हजारीबाग के पदनाम से जिला परिषद, हजारीबाग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. उच्चतम बोली द्वारा निर्धारित राशि पर बंदोबस्तधारी को सरकार द्वारा निर्धारित GST अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
4. असफल जमाकर्त्ताओं की जमानत की राशि डाक समाप्ति के तुरंत बाद वापस कर दी जायगी।
5. जिन व्यक्तियों के पास इस बंदोबस्ती से संबंधित पूर्व में कोई बकाया राशि है तो वे डाक में भाग लेने के पूर्व बकाया राशि जमा करेंगे, अन्यथा उन्हें डाक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।
6. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र/पैन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा तथा मूल कागजात साथ में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. बन्दोबस्तधारी के द्वारा बाजार से चुंगी की वसूली पूर्व निर्धारित दर के आधार पर किया जायेगा।
8. बन्दोबस्तधारी द्वारा सभी शर्त्तो को पूरा करने की स्थिति में निबंधित एकरारनामा किया जाना अनिवार्य होगा। एकरारनामा के पश्चात् चुंगी वसूली का आदेश निर्गत किया जायगा।
9. बन्दोबस्तधारी को बन्दोबस्ती की पूर्ण राशि की 50 प्रतिशत राशि बन्दोबस्ती के तुरंत बाद तथा अवशेष राशि को तिमाही किस्तों में जमा करना अनिवार्य होगा।
10. डाक की सुरक्षित जमा राशि 7,77,000.00 (सात लाख सतहतर हजार) रूपये है।
11. निर्धारित निबंधन एवं एकरारनामा स्टाम्प शुल्क की राशि बन्दोबस्तधारी को स्वंय वहन करना होगा।
12. बाजार की प्रतिदिन साफ–सफाई, शौचालय सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य बन्दोबस्तधारी को ही सम्पादित करना होगा।
13. बिना कारण बताये डाक को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

उप विकास आयुक्त,
–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, हजारीबाग।